फर्द अहकाम
(नियम 20)

...ज अदालत — तहसीलदार (राजस्व) — मुकाम रायसिंहनगर

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम लखवीर सिंह हल्का 33 ML

किस्म मुकद्दमा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि सं.....सन्.....अधिनियम 1954

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये
16.9.20	रिपोर्ट पटवारी / गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि अप्रार्थी श्री लखवीर सिंह पुत्र श्री मलकीयत सिंह जाति जाट सिख साकिन 1 N.P. ने चक 1 N.P. के मु.नं. 31 कि.नं. ..... में कुल 0.127 हैक्टर / बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत् ईस्वी 2017 में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध नाजायज काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील में लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.10.2020 को पेश हो।	प्र रजि० के पृष्ठ सं० 102 की क्र० सं० 2 पर मामला दायर की गई
05.10.20	पत्रावली प्रस्तुत। आवाजें लगाई गई गैर सायल उपस्थित। अप्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि को नाजायज काश्त किया है। अतः अप्रार्थी को अतियारी घोषित किया जाकर लगान का 5 गुणा जुर्माना राशि 50/- अक्षरे पचास रुपये आयद किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया।	तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर